

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

बनाम अजयान सिंह
 किम्प मुकदमा लवा नं. 52/09

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
29-05-23	<p>नाबला पेश हुई। वकूलाय फारुख उप./अनुपस्थित। पीठालीन अधिकारी तीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/प्रीटिंग में हैं। पत्रावली अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 26-07-23 को पेश हो</p>
26-7-23	<p>नाबला पेश हुई। वकूलाय फारुख उप./अनुपस्थित। पीठालीन अधिकारी तीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/प्रीटिंग में हैं। पत्रावली अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 20-11-23 को पेश हो</p>
20-11-23	<p>पेश हुई। वकूलाय उभय अनुपस्थित। पीठालीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/प्रीटिंग में पत्रावली वास्ते अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 10-03-24 को पेश हो</p>
20.05.2023	<p>दिनांक 10.03.2024 को इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर अधिवक्तागण व पक्षकारान् को बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पेशी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (नीनदायाना)